

पत्रांक-10/राज्य स्कीम - 33/2024-25152/27 रा0,
झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
राँची।

विषय :- राजस्व स्कीम के अंतर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-01-कार्यालय भवन, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-61-राजस्व प्रशासनान्तर्गत अंचल कार्यालय/निबंधन कार्यालय/राजस्व कचहरी/दामिन बंगला एवं अंचलाधिकारी आवास का निर्माण/जीर्णोद्धार के अंतर्गत "निर्माण कार्य" विपत्र कोड 40S40590179661000545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल ₹2,88,017/- (रुपये दो लाख अठासी हजार सत्रह) मात्र का आवंटन।

महाशय,

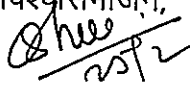
विभागीय आवंटनादेश संख्या-212, दिनांक-31.01.2022 द्वारा कुल 50,00,000/-रुपये मात्र की राशि आवंटित की गई थी। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-837/रा0, दिनांक-04.07.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त आवंटन में से 40,89,100/- रुपये कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण को उप आवंटित किया गया था एवं शेष राशि रु0 9,10,900/- रुपये प्रत्यर्पित किया गया था। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, जमशेदपुर के पत्रांक-53, दिनांक-16.01.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित कार्य की एकरारनामा राशि 42,73,310/- रुपये के विरुद्ध 40,89,100/- रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। मापीपुस्त के अनुसार कार्य की कुल राशि 43,77,117/-रुपये है। शेष राशि मात्र 2,88,017/- रुपये की माँग की गई है। उक्त के आलोक में अतिरिक्त अधियाचित राशि 2,88,017/- (रुपये दो लाख अठासी हजार सत्रह) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑनलाईन आवंटन डी0डी0ओ0 कोड-JSRDAD 074 में दिया गया है।
3. यह आवंटन मानगो अंचल में तहसील सह हल्का कर्मचारी आवास का निर्माण हेतु दिया जाता है।
4. इस योजना का क्रियान्वयन संबंधित जिला के भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कराया जाएगा।
5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 257/बजट, दिनांक-21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

Ym

कृ०पृ०उ०

6. निर्माण कार्य खुली निविदा के माध्यम से कराया जायेगा तथा राशि का भुगतान मापी के आधार पर किया जायगा। निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त जवाबदेह होंगे।
7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. संबंधित उपायुक्त आवंटित राशि को एक माह के अंदर संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल को उनके जमा शीर्ष (Deposit Head) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. राशि की निकासी के तुरन्त बाद व्यय विवरणी (टी.भी. नं. सहित), कार्य की प्रगति से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन तथा कार्य समाप्ति पर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से लेखा सत्यापन कराने के लिए संबंधित उपायुक्त उत्तरदायी होंगे।
10. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर माँग संख्या-40 के अतिरिक्त विपत्र कोड-40S40590179661000545 का उल्लेख किया जाय।
11. कार्य की गुणवत्ता के लिए भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता उत्तरदायी होंगे।
12. प्रत्येक माह की 5वीं तिथि को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय।
13. उपरोक्त निर्माण कार्य में राज्य में लागू लोक निर्माण विभाग संहिता के प्रावधानों, कोषागार संहिता के सुसंगत नियम तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
14. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटनादेश के अनुसार संबंधित कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
15. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2025 के पूर्व अवश्य कर दिया जाय।
16. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

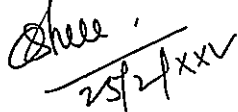
विश्वासभाजन,


(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/राज्य स्कीम - 33/2024-25 152/21/राँची, दिनांक-25-02-2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर समाहर्ता, जमशेदपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, विशेष कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव।

